DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, DECEMBER 12, 2023 ----------DATED Hindustan Times

DDA aims to finish revamp of Dwarka drain by early next yr

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) will complete by early next year the rejuvenation of trunk drain number 2 in Dwarka by developing a cycle track and interactive public spaces on both sides.

The 5.2-km drain starts in Dwarka Sector 8 and connects Sectors 9, 23, 24.

5.2 KM-LONG TUNNEL JOINS SECTOR 8 TO 9, 23, 24

The project includes tapping all the drain outlets and treating their water so that clean water enters the drain. The facilities on the two sides include an STP Park, a nature trail, an open-air food court, open-air theatre, three solar arcades and two ecological zones.

A senior DDA official said: "The department has been working on this project. The majority of the work on developing the cycle track and green areas is complete. We expect to dedicate the cycle track to the public by February-March, 2024."

"We are basically developing unhindered cycle tracks and walkways as a feeder network to nearby metro stations adjoining two trunk drains. To ensure that cyclists are not interrupted at intersections, we have made elevated tracks for crossing roads," the official said.

Work is on for rejuvenation of trunk drain 5, spread over a 3.8-kilometre area and passing through Sectors 15, 13, 14, 17 and 16 in Dwarka. "We have completed work on two food courts — Amrit Dhara (near metro station for Sector 9) and Amrit Ras, near Sector 13. These are connected to cycle tracks. The process of finalising concessionaires for running these complexes is in progress," the official said. The food plaza along the Sector 9 metro station is part of the trunk drain no 2 rejuvenation project and the other food plaza in Sector 13 is part of the trunk drain 5 project.

These food courts have space for 20-30 food joints.

All EWS and LIG flats in Dwarka sold, claims DDA

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA) on Monday claimed to sell out all EWS and LIG flats in Dwarka.

"We have sold 1,008 EWS flats and 316 LIG flats in Sector 14 Dwarka. Around 1,500 flats booked till now in Dwarka, Narela and Loknayakpuram under first come first serve (FCFS) housing scheme on Day 1 till now, which include over 1,100 EWS and around 400 LIG flats," said the official. Total registration done under FCFS scheme is around 12,500.

Around 28,000 EWS and LIG flats have been constructed under the Festival Special Housing Scheme 2023. Apart from them, there are MIG, HIG, super HIG and 14 penthouses constructed, taking the total number of flats to over 32,000. TNN

'Ensure clean and working public toilets'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Monday directed MCD and other authorities, including DDA, to ensure that public toilets and conveniences were kept clean, hygienic and in proper order.

A bench of acting Chief Justice Manmohan and Justice Mini Pushkarna also asked the civic authorities to appoint an officer in-charge for each public toilet for monitoring so that they could be held responsible if urinals are found in dirty condition.

"We direct the authorities to ensure public urinals/toilets are clean, hygienic and in order. Last opportunity is granted to the respondents (civic authorities) to file replies to the petition," the bench said, hearing a petition by Jan Seva Welfare Society on the unhygienic conditions and poor maintenance of public toilets.

With the petitioner's counsel submitting that some toilets have no electricity, the court told the counsels for DDA and MCD to "appoint officers having some responsibility". The case will be heard again on January 29.

The court had earlier asked the authorities to ensure that public toilets and conveniences were maintained with proper sanitation standards, saying their operation and maintenance were vital components of effective management and a complaint reporting or feedback system must be put in place.

HIGH COURT PULLS UP AGENCIES OVER UNTIDY PUBLIC TOILETS IN CAPITAL

Shruti Kakkar

letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Monday directed the Delhi Development Authority (DDA) and the Municipal Corporation of Delhi (MCD) to ensure that the public toilets in the Capital are clean and hygienic, even as it pulled up the civic authorities for their failure to maintain the facilities.

Recommending the authorities to appoint an officer to monitor the urinals, the court granted the civic authorities a "final opportunity" to file their status report on the condition of toilets in the city.

"Why are your officers not working? Things are very bad. Look at what he's saying. It's very bad," a bench of acting chief justice Manmohan and justice Mini Pushkarna told DDA's counsel.

The court was considering a plea filed by Jan Seva Welfare Society (society) that had underscored the deplorable state of public toilets.

To enhance the usability of public toilets with proper sanitation standards, the court had earlier directed civic authorities to implement a complaint report and feedback-gathering system and said that although the establishment of toilets was crucial, their operation and maintenance were equally vital components of effective management. The bench said that it was incumbent upon the DDA, MCD and New Delhi Municipal Corporation to undertake proactive measures.

On Monday, the society, appearing through advocate Yogesh Goel told the court, "They aren't taking action against the contractors. They are spending ₹8.75 crore on toilets every year. Contractors aren't willing to do anything," Goel said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 12 दिसंबर 2023

गंदे टॉयलेट्स पर MCD और DDA की HC में खिंचाई

कोर्ट ने पूछा, हर बात के लिए PIL क्यों, आपके अधिकारी खुद कुछ क्यों नही करते?

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : 'हर चीज के लिए जनहित याचिका ही क्यो ? आप अपने आप कुछ क्यो नही करते?' दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को यह सवाल एमसीडी और डीडीए से उस वक्त पूछा, जब वह उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमे राष्ट्रीय राजधानी मे मौजूद सभी सार्वजनिक शौचालयो मे साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने अथॉरिटीज को ऐसा एक तंत्र विकसित करने के लिए कहा, जिससे पब्लिक टॉयलेट्स की नियमित निगरानी संभव हो सके।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने एमसीडी और डीडीए के वकीलो को चार हफ्तो के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आखिरी मौका दिया। मामले मे अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। कोर्ट ने निगम के अधिकारियो से कहा कि वो यह सुनिश्चित करे कि पब्लिक टॉयलेट्स साफ-सुथरे और चालू हालत में रहे। बेंच ने एमसीडी से कहा कि वह किसी एक ऑफिसर की जिम्मेदारी तय कर सकती है, जिसके अधीन सारे टॉयलेट इंचार्ज हो। पर कोई ऐसा हो, जो इसे मॉनिटर करे। अगर वह अधिकारी अपना काम नही करता है तो आप (एमसीडी या डीडीए) उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते है। जवाब मे एमसीडी के वकील ने कहा कि हम इसके लिए एक तंत्र विकसित कर रहे है। कृपया हमे इस बारे मे अपनी स्टेटस रिपोर्ट मे बताने का मौका दे।

इससे पहले कोर्ट ने कहा कि हर बात के लिए पीआईएल ही क्यो? आप अपने आप कुछ क्यो नही करते। आपके अधिकारी काम क्यो नही कर रहे है। जवाब मे एमसीडी के वकील ने कहा कि ज्यादातर टॉयलेट्स ठीक हालत मे है। कुछ कमियां है, जिनपर ध्यान दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट बोला कि स्थिति बहुत खराब है। जो ये (याचिकाकर्ता के वकील) कह रहे है, वो ठीक नही। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि यहां एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए, जहां आम आदमी शिकायत दर्ज करा सके और वह शिकायत उनके सिस्टम पर रिफ्लेक्ट हो।

आरटीआई से मिली सूचना को आधार बनाकर याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि ये लाग सालाना सात लाख रुपये प्रति टॉयलेट खर्च करते है। इसका मतलब है कि सालाना 8.75 करोड़ सिर्फ टॉयलेट्स के रखरखाव पर खर्च हो रहा है। बदले मे क्या मिल रहा है? कुछ भी नही।

वकील ने दावा किया कि उन्होंने एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क किया, जिसने कहा कि उसे कोई फर्क नही पड़ता। उसने एक व्यक्ति को इसके लिए लगा रखा है, जो अभी ड्यूटी पर नही है।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 12 दिसंबर, 2023

कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास बनेगी पार्किंग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो के प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों में शामिल कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास बहुस्तरीय स्मार्ट भूमिगत पार्किंग बनेगी। डीएमआरसी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यदि सब कुछ योजना के अनुरूप हुआ तो टेंडर आवंटन के बाद अगले वर्ष इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा बेहतर होगी।

कड़कड़डूमा दिल्ली मेट्रो के दूसरे सबसे व्यस्त कारिडोर ब्लू लाइन (द्वारका सेक्टर 21-नोएडा इलेक्ट्रानिक सिटी/वैशाली) और पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) के साथ इंटरचेंज स्टेशन है। इस स्टेशन से प्रतिदिन करीब 38 हजार लोग मेट्रो में सफर करते हैं। कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में पहले से एक पार्किंग मौजूद है। कड़कड़डूमा में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के विकास के लिए डीडीए की बड़ी परियोजना प्रस्तावित है। इसलिए आने वाले समय में कड़कड़डूमा व्यावसायिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनेगा। इसके मद्देनजर डीएमआरसी इस स्टेशन को मल्टीमोडल ट्रांजिट के रूप में विकसित करेगा। इस मेट्रो स्टेशन पर आटो, कैब, ई-रिक्शा सहित सभी वाहनों के लिए अलग-अलग लेन की सुविधा होगी। इस योजना के तहत ही बहुस्तरीय स्मार्ट भूमिगत पार्किंग बनाने की योजना तैयार की गई है। टेंडर आवंटित होने के बाद 6070.12 वर्ग मीटर क्षेत्र में 41.47 करोड़ की लागत से दो वर्षों में इसका निर्माण पूरा होगा। इसमें 170 कारें और सौ दोपहिया वाहनों को खड़े करने की सुविधा होगी।

41.47 करोड़ की लागत से दो वर्ष में होगा बहुस्तरीय पार्किंग का निर्माण

हिन्दुस्तान

लग्जरी फ्लैटों की राशि को लेकर सवाल करें

डीडीए ने दो हजार से अधिक लग्जरी फ्लैटों का पंजीकरण शुरू किया है। लोगों से कहा है कि वह इन फ्लैटों की बयाना राशि के भुगतान को लेकर कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल कर सकते हैं। इन फ्लैटों की बिक्री ई-नीलामी के जरिए 5 जनवरी 2024 से शुरू होगी।

द्वारका सेक्टर -14 में बिके डीडीए के सभी फ्लैट

नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पहले आओ, पहले पाओ आवासीय योजना के तहत द्वारका सेक्टर 14 में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट पूरी तरह बिक चुके हैं। इस योजना के तहत शुरुआत से अब तक द्वारका, नरेला और लोकनायकपुरम में लगभग 1500 फ्लैट बुक किए गए हैं। कुल पंजीकरण लगभग 12,500 हो चुके हैं। (राज्य)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

12 दिसम्बर • 2023 | राष्ट्रीय सहारा

स्थानीय निकायों को निर्देश, शौचालयों को साफ एवं व्यवस्थित रखें

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली।

हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वे राजधानी के सार्वजनिक मूत्रालय और शौचालय साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। उसने निगम के अधिकारियों से भी सभी शौचालयों की निगरानी के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने यह निर्देश शहर में स्वच्छ पानी एवं बिजली आपूर्ति के साथ स्वच्छ सार्वजनिक मूत्रालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जन सेवा कल्याण सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। पीठ ने एमसीडी और डीडीए को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक मूत्रालय और शौचालय साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित हों।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार कुछ सार्वजनिक शौचालयों में बिजली भी नहीं है। यह चिंता की बात है। आप प्रत्येक शौचालय के लिए एक

■ हाईकोर्ट ने एमसीडी व डीडीए को शौचालयों की निगरानी के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने को कहा

■ कुछ सार्वजनिक शौचालयों में बिजली भी नहीं : याचिकाकर्ता

प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें जिससे कोई इसकी निगरानी कर सके। कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका देते हुए सुनवाई 29 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

हाल ही में कोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों के लिए एक शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करने का आह्वान किया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सुविधाएं उचित स्वच्छता मानकों के साथ बनाए रखी जा सकें। उसने कहा था कि नागरिक अधिकारियों यानी डीडीए, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड को यह सत्यापित करना होगा कि प्रदर्शित संपर्क नंबर चालू हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जनता किसी भी चिंता या असुविधा की सीधे रिपोर्ट कर सके। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों पर निर्भर करता है कि सार्वजनिक शौचालयों और सुविधाओं को उचित स्वच्छता मानकों के साथ बनाए रखा जाए।

याचिका में उत्तरदाताओं को दिल्ली की सभी उपलब्ध और कार्यात्मक रूप से निर्मित सार्वजनिक मूत्रालयों का निरीक्षण करने और अधिक सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम जनता को सार्वजनिक शौचालयों के खराब रखरखाव के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है और स्वच्छता की भी कमी है। उसमें कहा गया है कि उचित स्वच्छता की कमी गंदा वातावरण और संक्रामक बीमारियों का कारण बनती है जो सामाजिक खतरों का कारण बन सकती है।

डीडीए के द्वारका स्थित ईडब्ल्यूएस-एलआईजी फ्लैटों की बुकिंग पूरी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सोमवार देर शाम दावा किया है कि आवासीय योजना-2023 में शामिल द्वारका स्थित सेक्टर-14 स्थित ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी फ्लैटों की बुकिंग पूरी हो गई है। फ्लैटों की संख्या करीब 1,500 बताई गई है। पहले आओ-पहले पायो योजना के तहत यह बुकिंग हुई है। इसमें 1100 ईडब्ल्यूएस और 400 एलआईजी फ्लैट शामिल हैं। हालांकि इस योजना के तहत अब तक कुल 12,500 लोगों ने पंजीकरण कराया है।

डीडीए ने यह आवासीय योजना 24 नवम्बर से शुरू की थी। यह आवासीय योजना दो चरणों में है। पहले चरण में पहले आओ-पहले पाओ योजना के तहत एलआईजी, ईडब्ल्यूएस, द्वारका सेक्टर-19 बी स्थित ईडब्ल्यूएव, सेक्टर-14 स्थित ईडब्ल्यूएस और लोकनायक पुरम के ईडब्ल्यूएस फ्लैट इस योजना में शामिल हैं। जबकि दूसरे चरण में शामिल 1,100 लग्जरी फ्लैटों की ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री होगी।

amarujala.com
मंगलवार, 12 दिसंबर 2023

सार्वजनिक शौचालय साफ व व्यवस्थित हों : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक शौचालय साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित हों। अदालत ने नगर निगम अधिकारियों से प्रत्येक शौचालय की निगरानी के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ शहर में स्वच्छ पानी और बिजली आपूर्ति के साथ स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जन सेवा कल्याण सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार कुछ सार्वजनिक शौचालयों में बिजली भी नहीं है, यह चिंता की बात है। कोर्ट ने अधिकारियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का एक आखिरी मौका

दिया और मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2024 तय कर दी। हाल में अदालत ने सार्वजनिक शौचालयों के लिए एक शिकायत रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करने का आह्वान किया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सुविधाएं उचित स्वच्छता मानकों के साथ बनाए रखी जा सकें।

अदालत ने कहा था कि नागरिक अधिकारियों यानी डीडीए, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड को यह सत्यापित करना होगा कि प्रदर्शित संपर्क नंबर चालू हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता किसी भी चिंता या असुविधा की सीधे रिपोर्ट कर सकें। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI ▸ 12 दिसम्बर, 2023 ▸ मंगलवार
----------DATED----------

एसवीए के आरडब्ल्यूए ने डीडीए से कहा, कमजोर टावरों को ध्वस्त करें

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट (एसवीए) के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों से मुलाकात की और कम से कम दो टावरों को तुरंत ध्वस्त करने के लिए कहा जो संरचनात्मक रूप से सबसे कमजोर हैं। साथ ही डीडीए से उन टावरों के निवासियों को किराया देना शुरू करने को कहा है। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीडीए ने निवासियों से कमजोर टावरों को खाली करने के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है। प्राधिकरण जल्द से जल्द इसपर निर्णय लेने की कोशिश करेगा।अधिकारी ने कहा, 'हम सभी निवासियों से जल्द से जल्द परिसर खाली करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वहां रहना असुरक्षित है। अगर सभी निवासी आज खाली कर देते हैं तो हम कल से किराया देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ निवासी बाहर नहीं निकलते हैं, तो यह इमारत को जल्दी तोड़ने और पुनर्निर्माण करने के हमारे उद्देश्य को विफल कर देता है।' पिछले साल की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 टावरों वाली सोसायटी संरचनात्मक रूप से कमजोर मिली थी, जिसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे तुरंत खाली करने और ध्वस्त करने का आदेश दिया था। डीडीए ने पहले सभी निवासियों को सोसायटी खाली करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। हालांकि, नौ निवासियों के एक समूह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने डीडीए को फरवरी में सुनवाई की अगली तारीख तक निकासी रोकने के लिए कहा था। अधिकारी ने कहा कि डीडीए एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा और आरडब्ल्यूए व दिल्ली नगर निगम को भी इस मामले में एक पक्ष बनाने का प्रयास करेगा क्योंकि किराए से संबंधित सभी निर्णय आरडब्ल्यूए के साथ संयुक्त बैठक में लिए गए थे। आरडब्ल्यूए सदस्यों ने बताया कि बैठक के दौरान डीडीए ने कहा कि जिन लोगों ने परिसर खाली कर दिया है या छोड़ने की सहमति दी है, उनके किराए का भुगतान करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।